



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267537  
CG-DL-E-10112025-267537

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4913]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4913]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

## सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2025

**का.आ. 5068(अ).**— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ), दिनांकित 05 मार्च, 2024 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-167ए के वोदारेवू – चिलकालूरीपेट खंड के डिजाइन चैनेज किमी 0.000 से किमी 47.000 (मौजूदा किमी 0.000 से किमी 47.000) तक को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-167ए के वोदारेवू – चिलकालूरीपेट खंड के डिजाइन चैनेज किमी 0.000 से किमी 47.000 (मौजूदा किमी 0.000 से किमी 47.000) तक खंड के पेंड शोल्डर सहित चार लेन के उपयोग हेतु 20.3997 किमी (तालिका-2) निवल सङ्क खंड लंबाई और 9.633 किमी (तालिका-4) [0.9633 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से

अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और 10 करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले बाइपास 25.637 किमी (तालिका-3) लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के डेढ़ सौ प्रतिशत पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के बापतला जिले में उप्पुतुरु गांव के निकट रारा-167ए के किमी 21+200 पर	20.3997 किमी [बाइपास की लंबाई ( $\geq 10$ करोड़ रु. की लागत वाले) और संरचना की लंबाई ( $>60$ मी) को छोड़कर]	चार अथवा अधिक लेन के लिए, ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी :-

तालिका-3						
पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	बाइपास का नाम	शुरू होने वाला	पर मिलने वाला	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है [संरचना की लंबाई (>60मी) को छोड़कर]		दर, जिस पर फीस संदेय है
				लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रु.)	
आंध्र प्रदेश राज्य के बापतला जिले में उप्पुतुरु गांव के निकट रारा-167ए के किमी 21.200 पर	रारा-167ए का चिराला - करमचेदू बाइपास	किमी 3.600	किमी 18.400	14.104	154.20	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	रारा-167ए का परचुरु बाइपास	किमी 23.300	किमी 26.100	2.620	37.22	
	रारा-167ए का चिलकालूरीपेट बाइपास	किमी 38.000	किमी 47.000	8.913	74.17	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-4			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (मीटर में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के बापतला जिले में उप्पुतुरु गांव के निकट रारा-167ए के किमी 21.200 पर	0.9633 <sup>^</sup>	9.633	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^व्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	डिजाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	10.827	10.893	बड़ा पुल	0.066
2	15.969	16.077	बड़ा पुल	0.108
3	18.105	18.525	बड़ा पुल	0.420
4	23.289	23.469	बड़ा पुल	0.180
5	7.077	7.179	आरओबी	0.102
6	45.511	45.598	वीयूपी	0.0873
कुल				0.9633

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका-5		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

6. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

10. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 923.41 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/16/2022-23-एपी/जोन-111/सी. सं. 220354]

चेतना नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2025

**S.O. 5068(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. No. 1052 (E) dated 05.03.2024, issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted NH-167A from Design Chainage Km.0.000 to Km.47.000 (existing Km.0.000 to Km.47.000) of Vodarevu – Chilakaluripet Section of National Highway No.167A in the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules,2008 and amended from time to time ((hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table-1 for net road section length of 20.3997 Km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 9.633 Km (Table-4) (having a length of 0.9633 Km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 25.637 Km (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for use of four lane with paved shoulders of Vodarevu – Chilakaluripet Section from Km. 0.000 to Km. 47.000 (existing Km.0.000 to Km.47.000) of National Highway 167A in the State of Andhra Pradesh and authorizes National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**TABLE - 1**

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08(in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle Commercial Vehicles	2.40

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV)(four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza (s) namely:-

TABLE -2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which fee is payable
At Km.21+200 of NH - 167A near Upputuuru Village in Bapatla District of State Andhra Pradesh	20.3997 [Excluding length of Bypass (costing rupees $\geq$ 10Cr.) and length of structures(>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following fee plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza (s):-

TABLE-3

Location of fee plaza (chainage)	Name of the bypass	Taking off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
				[Excluding length of structures (>60m)]	
At Km.21.200 of NH - 167A near Upputuuru Village in Bapatla District of State Andhra Pradesh	Chirala-Karamchedu Bypass of NH-167A	km.3.600	km.18.400	14.104	154.20
	Parchuru Bypass of NH-167A	km.23.300	km.26.100	2.620	37.22
	Chilakaluripet Bypass of NH -167A	km.38.000	km.47.000	8.913	74.17

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza (s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10 :-

TABLE-4

Location of fee plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km.21.200 of NH - 167A near Upputuuru Village in Bapatla District of State Andhra Pradesh	0.9633 <sup>^</sup>	9.633	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

<sup>^</sup>The details are under:-

S.No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	10.827	10.893	Major Bridge	0.066
2	15.969	16.077	Major Bridge	0.108
3	18.105	18.525	Major Bridge	0.420
4	23.289	23.469	Major Bridge	0.180
5	7.077	7.179	ROB	0.102
6	45.511	45.598	VUP	0.0873
<b>Total</b>				<b>0.9633</b>

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340 (rupees three hundred and forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

**Table-5**

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one – half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definition including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 923.41 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/NH-12014/16/2022-23-AP/Zone-III (C.No.220354)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.